

भाग-III
(सम्बन्धित वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है)

प्रस्ताव संख्या-:(FP/UK/ROAD/155324/2022)

प्रस्ताव का नाम:- जनपद टिहरी गढ़वाल के विधानसभा क्षेत्र नरेन्द्रनगर के अन्तर्गत दिउली-गुजराड़ा मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 3.255 है० वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को हस्तान्तरण प्रस्ताव।

1-स्थल जहाँ को वन भूमि शामिल की गयी है
क्या इसका सम्बन्धित वन संरक्षक ने निरीक्षण
किया है? (हाँ/नहीं) यदि हाँ तो निरीक्षण की तारीख और
किये गये प्रेक्षणों को, निरीक्षण नोट के रूप में संलग्न करे।

नहीं

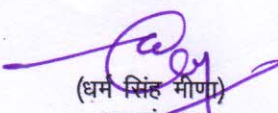
2-क्या सम्बन्धित वन संरक्षक भाग-ख में दी गयी
सूचना और उप वन संरक्षक के सुझावों से सहमत है।

हाँ

3-प्रस्ताव की स्वीकृति या अन्यथा के बारे में
सम्बन्धित वन संरक्षक की विस्तृत कारणों के साथ विशेष सिफारिशें।

संस्तुति की जाती है।

हस्ताक्षर


(धर्म सिंह मीणा)
वन संरक्षक,
भागीरथी वृत्त

तिथि:-07.11.2022
स्थान:- मुनिकीरेती।

भाग-IV

(नोडल अधिकारी अथवा मुख्य वन संरक्षक अथवा, वन विभाग द्वारा भरे जाने के लिए)

1-टिप्पणी के साथ प्रस्ताव को स्वीकार करने या अन्यथा के लिए
राज्य वन विभाग की विस्तृत राय और निर्दिष्ट सिफारिशें।
(राय देते समय, सम्बन्धित वन संरक्षक अथवा उप वन संरक्षक की प्रतिकूल
टिप्पणी की सुस्पष्ट समीक्षा की जाय और विवेचनात्मक टिप्पणी दी जाय)

तिथि:-07.11.2022
स्थान:-मुनिकीरेती।

हस्ताक्षर

नाम और पदनाम